

दिनांक – 09.12.17

खण्डपीठ क० 22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपी शमशेर अली, शरीफ खां एवं इंतजार खां सहित अधिवक्ता श्री पी०के० वार्मा उप०।

फरियादी महबूब खां एवं आहत रुखसाना तथा सलमान उप०। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधि० श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा की गई।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट भर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

राजीनामा पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी शरीफ खां पर भादसं की धारा 294, 325/34, 323/34 (2 शीर्ष) एवं 506 भाग-2 तथा आरोपी शमशेर अली एवं इंतजार खां पर भा०द०सं० की धारा 294, 325, 323, 323/34 एवं 506 भाग -2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी एवं आहतगण ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी शरीफ खां को भा०द०सं० की धारा 294, 325/34, 323/34 (2 शीर्ष) एवं 506 भाग -2 तथा आरोपी शमशेर अली एवं इंतजार खां को भा०द०सं० की धारा 294, 325, 323, 323/34 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 09.01.18 निरस्त की जाती है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 13.12.17 निरस्त की गई।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क०22 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)